पत्रांक–3 / CG–21 / 2023–

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

प्रेषक

**अजय कुमार,**
सहायक निदेशक (नियोजन)।

सेवा में,

**निदेशक,**
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–01, दिनांक–

**विषय–** **युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के नियंत्रणाधीन निदेशालय नियोजन के अंतर्गत टूल किट योजना का रंगीन विज्ञापन राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विज्ञापन की मूल प्रति ईमेल के माध्यम से संलग्न करते हुए निदेशानुसार अनुरोध है कि युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के नियंत्रणाधीन निदेशालय नियोजन के अंतर्गत संचालित टूल किट योजना का रंगीन विज्ञापन राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में आधे पृष्ठ में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

**अनु०– यथोक्त।**

विश्वासभाजन
**ह० / –**
(अजय कुमार)
सहायक निदेशक (नियोजन)।

ज्ञापांक–3 / CG–21 / 2023– 319 पटना–01, दिनांक–01/4/2026

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ।

2. सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ।

3.नोडल पदाधिकारी e-advertisement Portal को आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

4.श्रीमती प्रियेश नंदनी, आई०टी मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेब पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

अजय
1/4/2026
सहायक निदेशक (नियोजन)।

D:\WORK\SANJAY SIR JSA\2026_LETTER.DOCX - 31 -

बिहार सरकार

# युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार

## निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)

# टूल किट योजना

**नियोजनालयों में निबंधित युवाओं को स्वरोजगार हेतु निदेशालय नियोजन के अंतर्गत नियोजनालयों द्वारा नि:शुल्क टूल किट उपलब्ध कराया जाता है।**

## योग्यता:

1. कम से कम छह माह पूर्व का नियोजनालय में निबंधन।
2. स्वरोजगार हेतु संबंधित ट्रेड यथा Electrician/Fitter/Mobile repair/Plumber/Beautician/ Home appliances repair/ Sewing Machine Operator इत्यादि में मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 3 माह का प्रशिक्षण प्राप्त। RSETI, जन शिक्षण संस्थान, PMKVY, DDUGKY इत्यादि मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त एवं बिहार कौशल विकास मिशन से RPL (Recognition of Prior Learning) प्रमाणपत्र प्राप्त।
3. बिहार राज्य के मूल निवासी।
4. उम्र सीमा-18-40 वर्ष।
5. वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम ₹ 3,00,000/- से कम हो।
6. लाभुकों के चयन में दिव्यांगजन, Transgender, अनुसूचित जाति/जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है।

**अधिक जानकारी हेतु अपने संबंधित नियोजनालय से संपर्क करें।**

**Toll Free No. 18002965656**